न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. SPL / 2017

प्रार्थी : –

विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री देवाराम पुत्र श्री वेनाराम जाति माली निवासी नयासानवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अप्रार्थी संख्या दो की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26.04.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 14.05.2002 क्षेत्रफल 432 वर्गफीट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे ने जवाब प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी सिरोही द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 44 दिनांक 14.05.2002 क्षेत्रफल 432 वर्गफीट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो राज्य सरकार का कर्मचारी है, जिससे अप्रार्थी संख्या दो नियम 158 के तहत पात्रता नहीं रखता है। यह है कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं की गई है तथा नियमों की पूर्ण अवहेलना कर उक्त पट्टे को विधि विरूद्ध जारी किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या दो के लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा ने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 158 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। अप्रार्थी संख्या–दो द्वारा इस संबंध मे

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को उसके मकान के आगे की खांचा भूमि का पट्टा दिया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को यह जानकारी नहीं थी कि उसे रियायती दर पर भूखण्ड में लिखी श्रेणी में दिया गया है। अप्रार्थी संख्या दो ने अपने मकान के बिल्डिंग लाईन में अपने कब्जेशुदा खांचा भूमि की मांग की गई थी, अगर गलत रूप ग्राम पंचायत द्वारा उक्त श्रेणी दी गई है तो उक्त हेतु अप्रार्थी संख्या दो नियमानुसार उस समय की डी.एल.सी. दर अनुसार भुगतान करने को भी तैयार है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के सरकारी कर्मचारी होने की जानकारी ग्राम पंचायत को भी थी, परन्तु इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा रियायती दर की श्रेणी में पट्टा जारी किया गया है, इसके लिए अप्रार्थी संख्या दो की कोई गलती नहीं है। अप्रार्थी संख्या दो आज भी वर्ष 2002 में ग्राम पंचायत नया सानवाडा में उक्त भूमि की प्रचलित डी.एल.सी. दर आज भी जमा कराने को तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या दो से सन् 2002 में ग्राम पंचायत नयासानवाडा में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्राप्त कर उक्त पट्टा यथावत रखने के आदेश प्रदान करावे।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । संलग्न दस्तावेज के साथ निगरानी प्रार्थना पत्र की पत्रावली का भलिभॉति अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं. दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत उन्हीं को पट्टा जारी किया जाता है, जिनके पास स्वयं का गृह स्थल/गृह नहीं है, अप्रार्थी संख्या दो का ग्राम पंचायत नयासानवाडा में आवासीय मकान उपलब्ध है एवं इसी आवासीय मकान के आगे की भूमि का अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा उक्त विवादित पट्टा जारी किया गया है। यह है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ताओं के कथनों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो सरकारी कर्मचारी है, जो राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखता है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो को उक्त भूमि का पट्टा नियम 156 के तहत आपसी बातचीत के द्वारा पट्टा जारी किया जाना चाहिए था, परन्तु ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. से राशि वसूल नहीं करते हुए रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा राजकोष को नुकसानकारित किया जाना [illegible] संख्या दो के अधिवक्ता का कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो आज भी [illegible] 2002 की डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है, इस सम्बन्ध में पत्रावली [illegible] का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि उक्त विवादित पट्टा [illegible] पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर जारी किया गया है, जिसमें डी.एल.सी. दर पर दिए जाने का प्रावधान नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:58:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

होता है कि उक्त विवादित पट्टे की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया जाना रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के पक्ष में विक्रय विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 149 की पालना नहीं करते हुए नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत नयासानवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 14.05.2002 क्षेत्रफल 432 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत नयासानवाडा को निर्देश दिए जाते है कि उक्त विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो अपना कब्जा एवं स्वतत्व का दावा पेश करते है तो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 144 सपठित नियम 156 के तहत नियमानुसार मौजूदा डी.एल.सी. दर प्राप्त कर पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 12:38:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner